

103
मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

कमाक एफ-53/96/2013/19/यो

4302

भोपाल दिनांक 19/07/2013

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश।
2. समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश।

विषय:- निविदा प्रकरणों हेतु चेक लिस्ट में जानकारी के संबंध में।

—0—

राज्यस्तरीय निविदा निराकरण समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासन द्वारा निर्धारित चेक लिस्ट में सम्पूर्ण सही जानकारी भेजने की जिम्मेदारी संबंधित अधीक्षण यंत्री एवं मुख्य अभियंता की होगी। अतः समिति के निर्णय/निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

सहपत्र:-0

(एस0 एस0 वर्मा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 18/07/2013

पृ0 कमाक एफ-53/96/2013/19/यो 4302
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (पी0एम0यू0) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल।
3. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग मण्डल/परियोजना क्रियान्वयन इकाई।

सहपत्र:-0

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

